अध्याय - 10

लोक सेवायें, लोक सेवक तथा पदों पर भरती की सामान्य शर्तें

1. परिभाषाएं

(1) लोक सेवाएं तथा पद

राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कंपनी, निगम या किसी सहकारी सोसाइटी का, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था, जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नगद अनुदान प्राप्त कर रही है, का कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापना आती है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता से भुगतान किया जाता है, और ऐसा स्थापना जिसमें आकस्मिक नियुक्तियां की जाती हैं के स्थापना के किसी कार्यालय में की सेवाएं तथा पद ।

[छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथापरिभाषित।]

(2) लोक सेवक

लोक सेवक में शामिल हैं-

(1) कोई व्यक्ति, जो सरकार की सेवा में या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है;

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा में या उसके वेतन पर है;

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा में या उसके वेतन पर है;

(4) कोई न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णयन कृत्यों का, चाहे स्वयं या किसी व्यक्ति के निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है;

(5) कोई व्यक्ति, जो न्याय प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया परिसमापक रिसीवर या आयुक्त भी है;

(6) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकरण द्वारा कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है ;

(7) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाये रखने या पुनरीक्षित करने अथवा निर्वाचन या निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त है ;

(8) कोई व्यक्ति, ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है ;

(9) कोई व्यक्ति, जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या सरकार से सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय से या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित, किसी सरकारी कंपनी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है ;

(10) कोई व्यक्ति, जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी या ऐसे आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन करने के लिए या उसके द्वारा चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है ;

(11) कोई व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है, चाहे वह किसी भी पदाभिनाम से ज्ञात हो, और कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाओं का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा या किसी अन्य लोक निकाय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन या संचालन के संबंध में किया गया है ;

(12) कोई व्यक्ति, जो किसी भी रीति में स्थापित किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या अन्य संस्था का, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या कर चुकी है, पदधारी या कर्मचारी है।

[भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से।]

(3) "शासकीय सेवक" कौन?

(i) वह व्यक्ति, जो राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य है या कोई सिविल पद धारण कर रहा हो । इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है, जो बाह्य सेवा में है या जिसकी सेवाएं केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार को सौंपी गई हैं।

(ii) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो या कोई सिविल पद धारण करता हो, तथा जिसकी सेवाएं राज्य सरकार के अधीन अस्थाई रूप से सौंपी गई हों।

(iii) वह व्यक्ति, जो किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी की सेवा का हो तथा उसकी सेवाएं राज्य सरकार के अधिकार में अस्थाई रूप से सौंपी गई हों।

तात्पर्य यह है कि शासकीय सेवक एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में सिविल कार्यों के लिये नियुक्त किया गया है और उसे संचित निधि (Consolidated Fund) से वेतन दिया जाता है।

[छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 से]

(4) "कार्यालय प्रमुख"

"कार्यालय प्रमुख" से आशय स्थानीय कार्यालय के ऐसे विज्ञप्त प्रभारी अधिकारी से है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रमुख घोषित किया गया हो । इसके पास आहरण एवं संवितरण के अधिकार भी रहते हैं।

[छग वित्त संहिता जिल्द-एक नियम 2 (23)]

टिप्पणी- छग वित्तीय शक्ति पुस्तिका, 2007 भाग-1 के खण्ड-1 के सरल क्रमांक 3 के अनुसार कार्यालय प्रमुख घोषित करने के अधिकार शासन के प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त हैं।

(5) "संवितरण अधिकारी"

"संवितरण अधिकारी" से आशय उस अधिकारी से है जो कोषालय से देयक अथवा धनादेश के माध्यम से धन की निकासी करता है।

[छ.ग. वित्त संहिता जिल्द-एक नियम 2 (9)]

टिप्पणी- छ .ग वितीय अधिकार पुस्तिका 2007 भाग-1 के खण्ड-1 के सरल क्रमांक 5 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित करने के अधिकार शासन के प्रशासकीय विभाग को प्रदत है ।

टिप्पणी- छ .ग कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 125 के अनुसार कार्यालय प्रमुख अपने ये अधिकार अपने अधीनस्थ किसी अन्य विज्ञप्त अधिकारी को सौंप सकता है।

2. राज्य की लोक सेवाओं का वर्गीकरण

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 4 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है -

(एक) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा प्रथम श्रेणी ;

(दो) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा द्वितीय श्रेणी;

(तीन)(क) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय);

(ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय);

(चार) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चतुर्थ श्रेणी ।

3. नियुक्ति के लिए पात्रता

संबंधित विभागों के भरती नियम के अनुसार ।

4. नियुक्ति के लिए अपात्रता ।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो-

(1) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो । ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(2) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(3) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो ।

(4) जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।

(5) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है।

5. भरती का तरीका

(एक) सीधी भरती के द्वारा (लोक सेवा आयोग के माध्यम से रोजगार कार्यालय से नाम बुलाकर या सीधे विज्ञापन देकर, जिस प्रकार के पद हों)

(दो) पदोन्नति द्वारा

(तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा ।

[छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 का नियम 7]

टिप्पणी- केवल अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में रोजगार कार्यालय में पंजीयन संबंधी शर्त से छूट प्राप्त है।

[समय-समय पर जारी शासन की नीति के अनुसार]

6. पद के लिए शैक्षणिक अर्हता

पद के लिए शैक्षणिक अर्हता विभागीय भरती नियमों के अनुसार होगी। फिर भी राज्य शासन के यह निर्देश हैं कि शासकीय सेवाओं में भरती के लिए जहां न्यूनतम अर्हता उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है, वहां अब 10+2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की जाए, किन्तु साथ ही साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार भी पात्र बने रहेंगे क्योंकि उनके द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा हाईस्कूल परीक्षा से उच्च स्तर की है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-11/86/3/1, दिनांक 30-6-1986] ।

7. सीधी भरती के लिए न्यूनतम आयु सीमा

लोक सेवा तथा पदों पर भरती के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा संबंधित विभाग के भरती नियमों में विहित की गई है, किन्तु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं है। पेंशन नियमों के अनुसार भी 18 वर्ष की आयु के बाद ही भरती होने पर सेवा को अर्हतादायी सेवा माना जाता है। इससे कम आयु में भरती होने पर उसे अर्हतादायी सेवा नहीं माना जाता है और उक्त अवधि की सेवा (भरती दिनांक से 18 वर्ष की आयु पर पहुंचने के मध्य की अवधि) को बाल सेवा के समान मानकर पेंशन हेतु गणना में नहीं लिया जाता है।

8. सीधी भरती के लिये अधिकतम आयु सीमा

(i) (क) सीधी भरती के पदों पर अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष नियत है।

(ख) छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष नियत की गई है।

(ग) उपरोक्त 'क' एवं 'ख' संबंधी प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगे । गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भरती नियमों में, जो आयु सीमा संबंधी व्यवस्था निर्धारित / प्रावधानित है, उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भरती के लिए लागू रहेगी।

(घ) अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट प्राप्त है, वे छूट लागू रहेंगी, परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-3-2/2002/1-3, दिनांक 16-9-2008]

शिक्षित बेरोजगारों के हित में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन की सेवा में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों हेतु केवल स्थानीय निवासियों (छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों) हेतु एक बार के लिये 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावे। इस प्रकार स्थानीय निवासियों के लिए एक बार हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।

विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट प्राप्त है, वह यथावत ही बनी रहेगी, किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी । शासन का उक्त निर्णय पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं है।

यह निर्णय इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से लागू किया गया है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र एफ.3-2/2002/1-3, दिनांक 27 सितम्बर, 2013]

(ii) संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट- राज्य शासन के निर्णयानुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की है जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 3-2/2002/1/3, दिनांक 30-01-2012]

9. महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में विशेष छूट

(i) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की और छूट प्राप्त है।

(ii) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 के स्थान पर 35 वर्ष नियत है। तलाकशुदा महिला को तलाक के संबंध में न्यायालय या जाति रिवाज के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यक्ता महिला को राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम का न हो, का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित महिला को विवाह के पश्चात् उसके पति ने औपचारिक रूप से तलाक प्राप्त किये बिना छोड़ दिया है और उसे उसके पति से कोई गुजारा भत्ता भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-11/84/321, दिनांक 24-4-1984 तथा क्रमांक सी-3-25/88/3/49, दिनांक 29-3-1989]

10. अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अधितकम आयुसीमा में छूट/शिथिलीकरण

(1) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा, विधुर, आश्रित विधवा पुत्री एवं आश्रित तलाकशुदा पुत्री के मामले में विभागीय भरती नियम में पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा संबंधी प्रावधान पूर्णतः शिथिल रहेंगे ।

(2) आश्रित पुत्र/अविवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी, किन्तु उन्हें मिलने वाली अन्य प्रकार की छूट को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. वर्ग विशेष के उम्मीदवारों को विशेष छूट

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए : 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-3-3/74/3/1, दिनांक 16-3-1974]

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए : 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-7-26/03/3/1, दिनांक 20-1-94]

(3) आदिम जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पति के सवर्ण पार्टनर को : 5 वर्ष।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-10/85/3/1] दिनांक 28-6-1985]

(4) खेल पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी/युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट- राज्य शासन के निर्णयानुसार शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3, दिनांक 1-12-2006]

(5) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट- तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवा योग्य दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित उम्मीदवारों के लिए : 10 वर्ष ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 550-2532/1(3)/80, दिनांक 12-2-1981]

12. शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट

शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने पर अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षों की छूट दी गई है, जितने वर्ष उसने शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक प्राप्त होगी। इसके लिए 6 माह से अधिक के लिए एक वर्ष की सेवा मानी जाएगी ।

इन निर्देशों से जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट प्राप्त है, प्रभावित नहीं होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र .एफ 1-2/2002/1/3, दिनांक 2-6-2004]

13. पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट

शासकीय सेवाओं में विभिन्न पदों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पंचायत कर्मियों को उतने वर्ष की छूट दी गई है, जितने वर्ष उसने पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2002/1-3, दिनांक 10-2-2006]

14. सीधी भरती से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर सीधी भरती से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होना एक अनिवार्य अर्हता है। फिर भी अर्हक उम्मीदवारों के अभाव में बिना परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की इस शर्त के साथ नियुक्त कर लिया जाता है कि वे दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे । तब तक उन्हें नियमित नियुक्त नहीं माना जाता है और इस सेवा का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे नियुक्त कर्मचारियों को आगे निकट भविष्य में परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्रमांक 44/सी-3-6/91/3/1] दिनांक 16-1-1992 जारी कर यह निर्देश दिये हैं कि अब भविष्य में समय सीमा बढ़ाए जाने के कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे । उक्त परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित होती है। कर्मचारी उसमें शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण करें । यदि नहीं कर सकेंगे तो वे अपने वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही प्राप्त करते रहेंगे । उत्तीर्ण होने पर उन्हें नियमित नियुक्त मान लिया जायेगा और वेतन वृद्धि उन्हें देय हो जाएगी। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-2-35/84//3/1, दिनांक 15-11-1984 के अनुसार यदि ऐसे लिपिकों की आयु 40 वर्ष की हो जाए तो उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दे दी गई है।

15. जनगणना कर्मचारियों के लिये आयु सीमा में विशेष छूट

वर्ष 1991 एवं 2001 की जनगणना के कर्मचारियों को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने पर 45 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी गई थी अब उसे बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 7-22/2004/1/3, दिनांक 6-8-2008]

16. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आयु सीमा में छूट

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6-10/2004/1-9, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 सहपठित दिनांक 16-1-2008 एवं 17 दिसम्बर, 2009 द्वारा छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति 2007' बनाई गई है। जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में सीधे ही नियुक्त करने की नीति/प्रक्रिया/मापदण्ड निर्धारित की गई है। ऐसे घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ी की शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है। यह सुविधा/प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के अधीन निगम, मण्डल, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के पदों के संदर्भ में लागू होगी।

(उपरोक्त अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9, दिनांक 6 जुलाई 2010 द्वारा प्रसारित)

17. परिवीक्षा पर नियुक्ति

(1) जब किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर सीधी भरती से नियुक्त किया जाए तो उसे साधारणत: ऐसी कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा, जैसी कि सेवा के भरती नियमों में विहित है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षाकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं, किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं।

(3) परिवीक्षक को उसके परिवीक्षाकाल में ऐसे प्रशिक्षण में जाना होगा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी, जैसा सेवा भरती नियमों में विहित है।

(4) परिवीक्षाधीन की सेवाएं परिवीक्षाकाल में समाप्त भी की जा सकती हैं यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के विचार में वह उपयुक्त न पाया जाए।

(5) परिवीक्षाधीन की सेवाएं जिसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या जो उस सेवा या पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाए, परिवीक्षाकाल के अंत में समाप्त भी की जा सकती है।

[छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 का नियम 8]

18. अस्थाई नियुक्ति

जहां किसी पद के लिए सेवा भरती नियमों में प्रथमत: परिवीक्षा पर रखने की कोई शर्त विहित नहीं है, वहां सीधी भरती से नियुक्ति प्रथमत: केवल अस्थाई रूप से की जाती है। अस्थाई पद को समय-समय पर बढ़ाया जाता है। जब तक शासकीय सेवक अस्थाई पद पर कार्यरत रहता है, तब तक उसकी सेवा "अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा नियम, 1960" (Temporary and Ouasi-permanent Rules , 1960) से शासित होती हैं। इन नियमों के अनुसार एक माह का नोटिस देकर उसकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं।

19. विकलांगों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उतीर्ण करने से छूट

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र 294/2411/1(3)/74, दिनांक 18-4-1975 सहपठित ज्ञाप क्र .844/2621/1(3)/75, दिनांक 11-12-75 के अनुसार ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिनके हाथ स्थाई रूप से वि कृत होने के कारण मुद्रलेखन सीखने में असमर्थ हैं, केवल उन्हें ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर हिन्दी मुद्रलेखन की अर्हता से छूट प्राप्त है।